(c) to what extent this package envisages private sector participation in making these ailing units productive and contribute much needed fertilizer to the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) to (c) The Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) has declared two fertilizer producing public sector undertakings, namely, Fertilizer Corporation of India Ltd. (FCI) and Hindustan Fertilizer Corporation of India Ltd (HFC) as sick companies under the provisions of the sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985. The BIFR has appointed Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd. (ICICI) as the Operation Agency to prepare revival/rehabilitation packages in respect of these companies. Any decision on the revival of these companies, including the role of private sector in their revival, would depend upon the outcome of the proceedings pending before the BIFR, which is a quasi-judicial authority.

Government have not finalised any new package for revamping the sick fertiliser units in the public sector. A Technical Committee was set up in June, 1994 merely to assess the minimum requirement of funds for replacement of trouble prone equipment etc. in respect of a few units of HFC, and to assess the levels of production likely to be achieved after the above investments and to workout financial viability of these investments under alternative scenarios.

भोपाल गैस पीड़ितों के लिए पुनर्वास परियोजनाएं

319. **श्री अजीत जोगी:** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल गैस पीड़ितों के लिए कतिपय पुनर्वास परियोजनाओं का परित्याग कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भोपाल गैस पीड़ितों के पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन सी वैकल्पिक पुनर्वास योजनायें शुरू की गई हैं/शुरू करने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फ्लैरियो) : (क) से (घ) भोपाल गैस पीड़ितों के चिकित्सा, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण पुनर्वास के लिए एक कार्य योजना को मध्य प्रदेश सरकार कार्यान्वित कर रही है।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस कार्य योजना के अधीन कुछ स्कीमें अर्थात् स्वास्थ्य शिक्षा, प्रोटीन की कमी दूर करने की स्कीम घरों और बस्तियों, सेवा केन्द्रों का पुनर्निर्माण, स्टेप-अप सब्सिडी तथा स्टाफ वृत्तिका या तो इसी तरह की स्कीमों से परस्परव्यापी (ओवर-लैपिंग) थी या यह पाया गया था कि उनका उद्देश्य पूरा हो गया है। अतः इन्हें समाप्त कर दिया गया था और इस तरह से बचे धन को अन्य स्कीमों को मजबूत बनाने के लिए प्रयोग में लाया गया था।

कोरबा उर्वरक संयंत्र

320. **श्री अजीत जोगी:** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उर्वरक संयंत्र की लाखों रुपयों की मशीनरी कोरबा में निष्क्रिय पड़ी है क्योंकि भारतीय उर्वरक निगम प्रस्तावित उर्वरक एकक को स्थापित करने में असफल रहा है ;

(ग) इस मशीनरी तथा अन्य निर्माण सामग्रियों को उपयोग में लाने की सरकार की क्या योजना है ;

(ग) इस मशीनरी को प्रारम्भिक लागत और वर्तमान लागत कितनी है; और

(घ) क्या सरकार कोरबा उर्वरक संयंत्र के निर्माण कार्य को पुनः शुरू करने का विचार रखती है?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) :(क) से (घ) कोरबा स्थित फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० (एफसीआई) की कोयले पर आधारित उर्वरक परियोजना 1974 में सरकार द्वारा मंजूर की गई थी। तथापि, फरवरी, 1990 में रामागुण्ड और तालचर स्थित एफसीआई के अन्य दो कोयले पर आधारित उर्वरक एककों के घटिया निष्पादन को देखते हुए इस परियोजना को अंततः बन्द करने का निर्णय लिया गया। इस परियोजना के लिए एफ सी आई द्वारा प्रदत्त मशीनरी/उपस्कर में से लगभग 12.17 करोड़ रुपए मूल्य का उपस्कर/मशीनरी अभी गैर इस्तेमाल के पड़ी हुई हैं। एफसीआई इनमें से कुछ को अपने अन्य संयंत्रों में इस्तेमाल और बाकियों का निपटान करने की उत्सुक है।

कोरबा परियोजना के पुनरुद्धार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उर्वरक मूल्य नीति

321. **श्री अजीत जोगी** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिपक्षीय उर्वरक मूल्य नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी विस्तृत रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या इस नीति के अन्तर्गत परियोजना में पूंजी निवेश पर 16 प्रतिशत तक का लाभांश अर्जित किए जाने की अनुमति दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इन उर्वरक परियोजनाओं पर पहले कितने लाभांश दर की अनुमति दी गई; थी

(ङ) क्या लाभांश दर बढ़ाते समय उपभोक्ताओं के हितों की उपेक्षा की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) : (क) और (ख) सरकार कोई त्रिपक्षीय उर्वरक मूल्य नीति घोषित नहीं करती है। तथापि, प्रतिधारण मूल्य-व-वित्तीय सहायता योजना के कार्यान्वयन के लिए नीति मानदण्डों की सरकार द्वारा सामान्यतः तीन वर्षों की मूल्य निर्धारण अवधि के लिए घोषणा की जाती है। छठी मूल्य निर्धारण अवधि जो 1-4-1991 से आरम्भ होनी थी, के लिए नीति मानदण्डों की घोषणा अभी नहीं की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक संयंत्रों के संबंध में औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की रिपोर्ट

322. **श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला :**
श्री ईश दत्त यादव :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कई उर्वरक एककों को पुनः चालू करने हेतु औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड से प्राप्त हुई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है?